

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला शाहपुरा

:: मूल वाद में अन्तिम डिक्री ::
आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.



पीठासीन अधिकारी :- श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 29/2021 राजस्व वाद

अनवान

1- रूकमादेवी पत्नी मांगीलाल ब्राह्मण निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।

- वादी

बनाम

1- कैलाशचन्द्र पिता शुभकरण ढोली निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
2- राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा।

-- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित:- श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता वादी)

दिनांक 28.08.2024

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम जासोरिया पटवार क्षेत्र जासोरिया भू.अ.नि. क्षेत्र डाबला तहसील बनेड़ा की आराजी सं. 728 रकबा 0.6197 है० भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें तथा नपती उपरान्त यदि वादी के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावे तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से वादीगण को सुपूर्द किया जावें तथा वादी के खातेदार हक एवं हिस्से के भू-भाग पर प्रतिवादीगण बेजाद दखलअंदाजी एवं हस्ताक्षेप नहीं करें। खर्चा फरिक्केन अपना-अपना वहन करें। आदेश की पालना में तहसीलदार बनेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कि मौके पर नपती के संबंध में पक्षकारान को न्यूनतम तीन दिन पूर्व सुचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। यदि वादी के हक एवं हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जावें तो उक्त भू-भाग से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादीगण को सुपूर्द किया जावें।

यह डिक्री आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला शाहपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला शाहपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 29/2021 राजस्व वाद

अनवान

1- रूकमादेवी पत्नी मांगीलाल ब्राह्मण निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा

बनाम

1- कैलाशचन्द्र पिता शुभकरण ढोली निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।

2- राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा।

- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:- मुरारी जोशी (अधिवक्ता वादी)

निर्णय

दिनांक 28.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद वादी अन्तर्गत 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि ग्राम जासोरिया पटवार क्षेत्र जासोरिया भू.अ.नि. क्षेत्र डाबला तहसील बनेड़ा की आराजी सं. 715, 716, 728, 729 कुल कित्ता 4 रकबा 2.0108 है 0 भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण आराजियात में से वादी की आराजी सं. 728 रकबा 0.6197 है 0 भूमि की उत्तरी मेड़ पर 150 कड़ी गुणा 6 कड़ी = 900 वर्ग कड़ी पर प्रतिवादी सं. 1 ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतः प्रतिवादी सं. 1 को वादी की खातेदारी आराजी से बेदखल कर वादी को कब्जा सिपूद कराये जाने आशय की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी गण सादर फरमायी जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगणों को जारी समान नोटिस बाद तामील लौटकर प्राप्त हुए जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी गण बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाकर पत्रावली को एक तरफा साक्ष्यवादी चरण नियत किया गया। वादी की शहादत में वादी द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस प्रदर्श 4 अंकित किये गये। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, सूचना पत्र, मौका पर्चा, पेश किये गये जिसे प्रदर्श 1-3 अंकित किये गये।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रकरण में बहस प्रस्तुत करना चाहने से एक पक्षीय बहस सुनी गई। तत्पश्चात बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी की सम्पूर्ण आराजियात में से आराजी सं. 728 रकबा 0.6197 है 0 भूमि की उत्तरी मेड़ पर 150 कड़ी गुणा 6 कड़ी = 900 वर्ग कड़ी पर प्रतिवादी सं. 1 ने अवैध कब्जा पाया गया है उस भु-भाग का वादी को कब्जा सिपूद किया जाना उचित समझते हैं।

:- आदेश -:

अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 स्वीकार कर तहसीलदार बनेड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि वादी की खातेदारी आराजियात ग्राम जासोरिया पटवार क्षेत्र जासोरिया भू.अ.नि. क्षेत्र डाबला तहसील बनेड़ा की आराजी सं. 728 रकबा 0.6197 है 0 भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। नपती के संबंध में पक्षकारान् को न्यूनतम 03 दिन पूर्व सूचित किया जावें। नपती उपरान्त यदि वादी के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी सं. 1

का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावे तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 1 से वादी को सिपूरद किया जावे तथा वादी के खातेदारी हक एवं हिस्से के भू-भाग पर प्रतिवादी बेजादखल्दाजी एवं हस्तक्षेप नहीं करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला शाहपुरा